# कृषि कानून एवं उसकी सार्थकता

भारत में कृषक कृषि में जी–तोड़ मेहनत तो करते हैं परन्तु उन्हें वर्तमान कृषि व्यवस्था के अंतर्गत वह लाभ नहीं मिल पा रहा था जिसके वह हकदार हैं। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के बीच काफी असमानता व्याप्त है, जिसके कई कारण हैं जैसे कृषि उत्पादों के लिए अपर्याप्त एवं असंगठित बाजार जिनमें प्रायः किसानों को उच्च विक्रय शुल्क का भुगतान करना है, अपर्याप्त मूलभूत आवश्यक ढांचे/अवसंरचनाएँ तथा ऋण सुविधाओं की कमी, बाजार मूल्य की सूचना का कृषकों को न मिल पाना तथा अपना उत्पाद विक्रय करने के लिए कृषकों को लाइसेंस आसानी से न मिल पाना। सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करना है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगी। पहले व्यापारी फसलों को किसानों को औने–पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए Essential Commodity Act 1955 बनाया गया था जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक सीमा से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गयी थी। अब नये विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है।

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020, राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आजादी मिलेगी, जिससे अच्छा माहौल पैदा होगा और दाम भी बेहतर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं। इस अध्यादेश में कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिये सरकार एक देश, एक बाजार की बात कर रही है। इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगे। वह जहां चाहेंगे अपनी उपज को बेच सकेंगे जिसकी मदद से किसान के अधिकारों में इजाफा होगा और बाजार में

प्रतियोगिता बढ़ेगी। किसान को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता मिलेगी। सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों को लक्ष्य से कहीं ज्यादा उत्पादित किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill) यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा।

- नया किसान बिल में किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को मंडी के बहार भी व्यापारी के पास बेच सकता है।
- किसान अपने फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है।
- किसानों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा। साथ ही बिल के अनुसार अब माल ढुलाई का खर्च भी देना होगा। नये किसान कृषि विधेयक के अनुसार किसानों को ई–ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जायेगा। जिससे माध्यम से इलेक्ट्रानिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके तहत मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
- इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा।

**शंकाएँ**

- सरकार द्वारा निर्धारत किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगा।
- किसान फसल को मंडी से बाहर बेचता है तो एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
- ई–नाम जैसे सरकारी ई–ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?

**समाधान**

- MSP पर पहले की तरह फसल की खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे।
- किसान को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा।
- सरकार द्वारा शुरू की गयी ई–नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी।
- इलेक्ट्रानिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी।

| भ्रांति | वास्तविकता |
|---|---|
| कृषि कानूनों से कृषकों को कोई लाभ नहीं होगा | कृषि कानूनों के बाद अब किसानों को खरीददार एवं मूल्य खुद तय करने का मौका मिलेगा। |
| किसानों के विवादों की सुनवाई का प्रावधान नहीं है। | कृषि विधेयक द्वारा समय पर किसानों के विवादों का निपटारा न्यूनतम मूल्य पर स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा। |
| किसानों को अपने उत्पाद का भुगतान समय पर नहीं मिलेगा। | खरीददार कृषकों का भुगतान तत्काल या तीन दिन के अन्दर करने को बाध्य होगा। |
| कृषक संगठनों को बिल से कोई लाभ नहीं होगा। | सभी कृषक संगठनों को कृषक का दर्जा प्राप्त होगा तथा कृषक के समान सभी लाभ मिलेंगे। |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हटा दिया जाएगा। | न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले के समान ही रहेंगे। |
| भारतीय खाद्य निगम किसानों से उत्पाद नहीं क्रय करेंगी। | भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य एजेंसियाँ कृषकों से पूर्व की भांति ही उत्पाद क्रय करेंगी। |
| किसानों को कृषि मंडी से बाहर उत्पाद को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। | किसान मंडी से बाहर अच्छा मूल्य देने वाले खरीददार को बिना किसी पंजीकरण/खरीद मूल्य के अपना उत्पाद बेच सकते हैं। |
| कृषि मंडी जल्द ही बन्द हो जाएंगी। | कृषि मंडी तंत्र पूर्व की तरह ही सुचारू रूप से चलेंगी। |
| कृषि विधेयक राज्य कृषि मंडियों के अधिकारों का हनन करेगा। | विधेयक मंडी एक्ट को समाप्त नहीं करेगा। यह किसानों को मंडी से बाहर उत्पाद बेचने का अधिकार प्रदान करेगा। |
| विधेयक किसानों के भुगतान को कोई सुरक्षा नहीं देगा। | किसानों के हितों को सुरक्षित करने के दिशा निर्देश विधेयक में सम्मिलित हैं। |
| विधेयक लागू होने पर उद्यमी कृषकों की जमीन पर अधिकार कर लेंगे। | विधेयक कृषकों की भूमि/स्थाई संरचना के हस्तांतरण को रोकेगा। |